<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म०प्र०)</u> (समक्षः डी.एस.मण्डलोई)

<u>आप.प्र.क.: 730 / 2014</u> संस्थित दि: 08 / 08 / 14

विरुद

- (01) हारिस खान पिता अजहरूल अलीम खान, उम्र 21 साल, निवासी अकबर वार्ड एकता कलोनी, जिला सिवनी (म0प्र0)
- (02) श्रीमति फरहत जहां पति अजहरूल अलीम खान, उम्र 57 साल, निवासी अकबर वार्ड एकता कलोनी, जिला सिवनी (म0प्र0)

..... आरोपीगण

–<u>:: निर्णय ::</u>–

(आज दिनांक 08/08/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपी हारिस खान पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्टस—3) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 15.05.2014 को समय 10:00 बजे स्थान परसवाड़ा से लामटा मेन रोड बीजाटोला बेरियर थाना परसवाड़ा अन्तर्गत लोगमार्ग पर वाहन टाटा सफारी काले रंग की कमांक एम.पी.22/सी.ए.1399 को तेजी व लारवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं प्रकाश, सुभानी, अजय को टक्कर मारकर साधारण उपहित कारित की तथा उक्त वाहन को बिना वैध बीमा के चलाते हुए पाये गये एवं आरोपी फरहत जहां खान पर मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी फरहत जहां ने यह जानते हुए कि आरोपी हारिस खान के पास वाहन चलाने का लायसेंस नही है फिर भी उक्त वाहन चलाने हेतु उसे दिया।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रकाश कुमार मरकाम ने दिनांक 15.05.2014 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम चरेगांव में रहता है तथा मजदूरी का काम करता है। वह दशाराम मर्सकोले निवासी बीजाटोला के यहां शादी में गया था। दिनांक 15.05.2014 को 10:00 बजे वह मोटरसाइकिल से अजय उइके, सुभानी मरकाम के साथ बीजाटोला से कनई जा रहे था कि बीजाटोला बेरियर के पास मेन रोड पर लामटा तरफ से आ रहे काले रंग के वाहन टाटा सफारी क्रमांक एम.पी.22—सी.ए.1399 के चालक ने उक्त वाहन को तेजगति एवं

लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और उसकी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50—एम.एफ. 8922 को ठोकर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सहित वह, अजय तथा सुभानी मरकान गिर गये और उन्हें चोट कारित हुई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 76/14 अन्तर्गत धारा 279, 337 के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर एवं आरोपी हारिस खान को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- (03) आरोपी हारिस खान को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्टस—3) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 एवं आरोपी फरहत जहां खान को मोटरयान अधिनियम की 146 / 196 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढकर सुनाई व समझाई गई।
- (04) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
 - (1) क्या आरोपी हारिस खान ने दिनांक 15.05. 2014 को समय 10:00 बजे स्थान परसवाड़ा से लामटा मेन रोड बीजाटोला बेरियर थाना परसवाड़ा अन्तर्गत लोगमार्ग पर वाहन टाटा सफारी काले रंग की क्रमांक एम.पी.22/सी.ए.1399 को तेजी ब लारवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
 - (2) क्या आरोपी हारिस खान ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन टाटा सफारी काले रंग की कं. एम.पी.22 / सी.ए.139को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर प्रकाश, अजय, सुभानी को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?
 - (3) क्या आरोपी हारिस खान ने इसी दिनांक समय एवं स्थान पर वाहन टाटा सफारी काले रंग की कमांक एम.पी.22 / सी.ए.139 को बिना किसी बैध बिना के चलाते हुए पाया गया ?
 - (4) क्या आरोपी फरहत जहां खान ने इसी दिनांक समय एवं स्थान पर वाहन टाटा सफारी काले रंग की

कमांक एम.पी.22 / सी.ए.139 को यह जानते हुए कि आरोपी हारिस खान के पास वाहन चलाने का बीमा नहीं है, फिर भी उक्त वाहन उसे चलाने हेतु दिया ?

—ः <u>सकारण — निष्कर्ष</u> ::—

विचारणीय बिन्दु कमांक 1, 2,3 एवं 4 :-

- (05) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 का एक साथ विचार किया जा रहा है।
- (06) आरोपी हारिस खान को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्टस—3) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 एवं आरोपी फरहत जहां खान को मोटरयान अधिनियम की 146 / 196 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।
- (07) आरोपी हारिस खान के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्टस—3) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 एवं आरोपी फरहत जहां खान को मोटरयान अधिनियम की 146 / 196 के अपराध की स्वेच्छ्यापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी हारिस खान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्टस—3) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 एवं आरोपी फरहत जहां खान को मोटरयान अधिनियम की 146 / 196 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।
- (08) अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण के द्वारा अपराध की स्वेचछयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।
- (09) आरोपी हारिस खान को भारतीय दण्ड सहिता की धारा 279 के आरोप में 1000/— (एक हजार) रूपये, 337(काउन्टस—3) के आरोप में 1500/—रूपये (एक हजार पांच सौ) रूपये, एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के आरोप में 1000/— (एक हजार) एवं आरोपी फरहज जहां खान को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के आरोप में 1000/— (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड राशि अदा न किए जाने पर आरोपीगण को एक—एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

- (10) आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपीगण को क्रमशः एक—एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।
- (11) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा सफारी क्रमांक एम.पी.22 / सी.ए.1399 को उसके पंजीकृत स्वामी को वापस किया जावे।

THE TO PARE TO STATE TO STATE

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्द्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट